वर्ष 2020—21 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **श्री शाहनवाज़, पुत्र श्री शमशेर, निवासी—इन्द्रानगर, हल्द्वानी—नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरण:—** शिकायतकर्ता का मा0 आयोग को प्रेषित शिकायती पत्र के अनुसार प्राचार्य, पी.एस.एस.सीनियर से. स्कूल द्वारा, प्रार्थी के पुत्र मो0 अमान की टी.सी. देने हेतु रू0 8000/— की मांग की जा रही है, जबकि उनके द्वारा स्कूल के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है। जिसके क्रम में आयोग कार्यालय के पत्र सं0 1094 दिनांक 06.02.201, के द्वारा प्रकरण में बच्चे के भविष्य को देखते हुए उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी—नैनीताल को जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के साथ जांच करते हुए टी.सी. दिलाये जाने संबंधी कार्यवाही की गयी, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र दिनांक 05.03.2021 के द्वारा मा0 आयोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण प्रार्थी के पुत्र का भविष्य बच गया तथा स्कूल प्रशासन द्वारा निःशुल्क टी0सी0 उपलब्ध करा दी गयी है।

- **श्री तसव्वर हुसैन, निवासी—इन्द्रानगर, हल्द्वानी—नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरण:—** शिकायतकर्ता का मा0 आयोग को प्रेषित शिकायती पत्र के अनुसार प्राचार्य, पी.एस.एस.सीनियर से.स्कूल द्वारा प्रार्थी के पुत्र नसीब आलम की टी.सी. देने हेतु रू0 8000/— की मांग की जा रही है, जबकि उनके द्वारा स्कूल के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है। जिसके क्रम में आयोग कार्यालय के पत्र सं0 1094 दिनांक 06.02.201, के द्वारा प्रकरण में बच्चे के भविष्य को देखते हुए उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी—नैनीताल को जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के साथ जांच करते हुए टी.सी. दिलाये जाने संबंधी कार्यवाही की गयी, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र दिनांक 05.03.2021 के द्वारा मा0 आयोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण प्रार्थी के पुत्र का भविष्य बच गया तथा स्कूल प्रशासन द्वारा निःशुल्क टी0सी0 उपलब्ध करा दी गयी है।

- **मौ0 दानिश पुत्र मो0 यामीन, निवासी—वार्ड नं0—26, नई बस्ती आस्थाना मस्जिद, हल्द्वानी—नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरण:—** शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि प्रार्थी के अल्पसंख्यक समुदाय का होने के कारण खाद्य विभाग में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के उपरान्त भी लाईसेंस जारी न किये जाने तथा श्री कैलाश टम्टा, खाद्य अधिकारी द्वारा प्रार्थी की मछली की दुकान का चालान करते हुए दुकान सीज की गयी तथा प्रार्थी द्वारा जुर्माना अदा करने के उपरान्त भी दुकान को न खोलने के कारण उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके क्रम में आयोग कार्यालय के पत्र सं0 886 दिनांक 28.12.2020, के द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल को प्रकरण में जांच समिति का गठन करते हुए संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के साथ—साथ तत्काल दुकान खोले जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अग्रेतत्तर कार्यवाही की गयी, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र के द्वारा मा0 आयोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा प्रार्थी को रोजगार प्राप्त हुआ है।

- **श्री विज़ाहत यार खां, पुत्र श्री रियासत यार खां, निवासी—ग्राम दरऊ, तहसील किच्छा, जिला—ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरण:—** शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि किच्छा पटवारी व अन्य अधिकारियों द्वारा उनकी भूमि के खसरे को सड़क व कब्रिस्तान भूमि से बदलकर सड़क कर दिया गया है, जिस कारण प्रार्थी का मानसिक तथा सामुदायिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसके क्रम में आयोग कार्यालय के पत्र सं0 1002 दिनांक 22.01.2021, के द्वारा जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को प्रकरण में जांच समिति का गठन करते हुए संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र सं0 8053 दिनांक 26.03.2021, के द्वारा शिकायतकर्ता की भूमि को पूर्व की भांति खेती व कब्रिस्तान में दर्ज कराते हुए प्रार्थी की समस्या का समाधान कर आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट है तथा अपने पत्र दिनांक 13.06.2021, के द्वारा मा0 आयोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 आयोग से प्रार्थी को न्याय मिला है, जिस कारण प्रार्थी व प्रार्थी का पूरा परिवार मा0 आयोग को आभार प्रकट करता है।

- **<u>श्री जहांगीर आलम, स.अ., पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी–गौजाजाली उत्तर, आम का बगीचा, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरण</u>**:–शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दाम्पत्य नीति के आधार पर दिनांक 22.01.2020, को शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा स्थानान्तरण सूची जारी कर दी गयी थी, जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम सं0–55 पर अंकित होने के उपरान्त भी प्रार्थी को स्थानान्तरित जनपद के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जबकि अन्य शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया गया है, जिसके क्रम में आयोग कार्यालय के पत्र सं0 225 दिनांक 21.07.2020, के द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून को प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 4601 दिनांक 06.08.2020, के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा सन्तुष्ट होते हुए अपने पत्र दिनांक 12.09.2020, के द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा प्रार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान कर लिया गया है।

- **श्री मानक थॉमस, पुत्र स्व0 थॉमस, निवासी–15, वाणी विहार, रायपुर रोड़, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरण**:– शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि उनके पड़ोस में एक मंदिर समिति के सदस्य व निवासरत् नौजवान युवा वर्ग उनसे ईसाई होने के कारण रंजिश रखते है तथा आये दिन उनके तथा उनके परिवार के साथ गाली–गलौच, घर पर पत्थर मारने जैसी घटना कर अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते है, जिस हेतु प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को जांच कर अल्पसंख्यक के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये का अपने स्तर से निपटारा कर शान्ति व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये। पुलिस विभाग द्वारा अपने पत्र सं0 एसटी–एसएसपी–15(अ0सं0)/2020 दिनांक 31.07.2020, के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि वर्तमान में शिकायतकर्ता को सुरक्षापयोगी उपाय करते हुए शान्ति व्यवस्था कायम की गयी है, जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट है।

- **श्री आरिफ खान, पुत्र श्री मौ0 इन्तेजाम, निवासी–ग्राम ढकरानी, थाना–विकासनगर, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरण**:–:– शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि उनके पड़ोसी श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री शिवपाल कश्यप व शिवपाल कश्यप पुत्र स्व0 श्री प्रभु लाल, निवासी–ग्राम ढकरानी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को षडयंत्र रचकर झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने, ऐसिड अटैक तथा फैसबुक पर अभद्र टिप्पणी आदि झूठे आरोप लगाये गये है। जिस हेतु प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को जांच कर अल्पसंख्यक के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये का अपने स्तर से निपटारा कर शान्ति व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 एसटी–एसएसपी–16(अ0सं0)/2020 दिनांक 27.07.2020, के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रकरण में थाना विकासनगर द्वारा दोनों पक्षों को उचित हिदायत देकर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत धारा–107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है, जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट है।

- **श्री जियाउद्दीन कुरैशी, पूर्व पार्षद, निवासी–वार्ड नं0–14, नगर निगम, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरण**:– शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि बैंक ऑफ बडौदा की शाखा मंगल पडाव जो कि बरेली रोड़ गांधी स्कूल के सामने कई वर्षों से स्थापित है, को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये है, जबकि उक्त शाखा का देना बैंक के साथ विलय जो चुका है तथा दोनों शाखाएं मिलकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है। दोनों शाखाओं में लगभग 18 से 20 हजार तक केवल अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते संचालित है। उक्त बैंक के अन्यत्र स्थान पर ले जाने से वर्तमान में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत अल्पसख्यंक समुदाय के लोग अत्याधिक प्रताड़ित होगें तथा जनहित में उक्त बैंक को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक (लीड बैंक) नैनीताल को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए वर्तमान में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत यथावत् रखे जाने के आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में मा0 आयोग की दिनांक 06.01.2021, को आहूत सुनवाई में जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा मंगल पडाव को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित न करते हुए यथावत् रखा गया हैं।